प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला अलवर, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र0सू0रि0 सं. 9/22 दिनांक 12/1/22
2. (I) अधिनियम–धाराये. 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधित)अधिनियम 2018 .
   (II) अधिनियम .... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 299 समय 6:00 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– मंगलवार, 11.01.2022 समय 12.37 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.1.2022 समय 09.30 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– कार्यशाला(वर्कशॉप), आर0एस0आर0टी0सी0 तिजारा आगार, तिजारा
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 55 कि0मी0 लगभग, उत्तर दिशा में
   (ब)पता – कार्यशाला(वर्कशॉप), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर।

   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री हरिराम शर्मा
   (स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 55 वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय– रोडवेज चालक
   (ल) पता– ग्राम–पोस्ट सिकरोरी, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर, हाल चालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : – **श्री दीप चन्द सांखला पुत्र स्व. श्री रतन लाल साँखला, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, मौहल्ला खटीकान, नवलगढ, पुलिस थाना नवलगढ, जिला झुन्झूनु हाल कनिष्ठ अभियन्ता–बी, प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर।**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– 6,000/–रूपये एवं संदिग्ध राशि 8560 रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 6,000/–रूपये एवं संदिग्ध राशि 8560 रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ए.सी.डी. अलवर। विषयः– तिजारा रोडवेज डिपो पर तैनात श्री दीपचन्द सॉखला प्रबन्धक संचालक(MO) को रिश्वत लेते हुऐ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं लक्ष्मण प्रसाद तिजारा–उदयपुर मार्ग पर गाडी चलाता हूँ। दिनांक 1.12.21 को मैं बीमार हो गया था जिसकी सूचना व डाक्टर की पर्ची व मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट दिनांक 1.12.21 को ही MO तिजारा डिपो को भिजवाया दिया था इसके बाद मैं दिनांक 15.12.2021 को MO सहाब को मेरी बीमारी से सही होने का मेरा डा0 द्वारा जारी मेडिकल फिटनेट सर्टिफिकेट सहित प्रार्थना पत्र पेश कर डयूटी पर उपस्थित हो गया। इसके

बाद श्री दीप चन्द सॉखला (MO) तिजारा डिपो मेरी तिजारा उदयपुर डयूटी लगाने के 1000 रू प्रति माह रिश्वत के एवं मेरी बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज में 5000 रू रिश्वत के इस प्रकार कुल 6000 रू0 रिश्वत की मॉग कर रहा है। तथा मैं मेरे उक्त कार्य के लिए श्री दीप चन्द सॉखला (MO) सहाब से कईबार मिल चुका किन्तु वे बिना रिश्वत के पैसे लिए मेरी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगातार डयूटी नही लगा रहा है। और नाही ही मेरी उक्त बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर रहें है। मैं(MO) दीप चन्द सॉखला को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चहाता हूॅ तथा उसे रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चहाता हूॅ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक–9.1.2022 हस्ता0, प्रार्थी, लक्ष्मण प्रसाद S/O हरीराम गॉव व पोस्ट सिकरोरी त0 कुम्हेर जिला भरतपुर हाल चालक R.S.R.T.C. तिजारा डिपो जिला अलवर M.N. 07239834820

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.1.2022 को समय 09.30 ए0एम पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर मन् पुलिस निरीक्षक के सम्मुख परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए0सी0बी0, अलवर को सम्बोधित उक्त लिखित प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार में चालक के पद पर कार्यरत हूॅ तथा तिजारा–उदयपुर मार्ग पर गाडी चलाता हूॅ। दिनांक 1.12.21 को मैं बीमार हो गया था, जिसकी सूचना व डाक्टर की पर्ची व मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट दिनांक 1.12.21 को ही एम0ओ0 तिजारा डीपो को भिजवा दिया था। इसके बाद मैं दिनांक 15.12.2021 को एम0ओ0 साहब को मेरी बीमारी से सही होने पर मेरा डाक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सहित प्रार्थना पत्र पेश कर डयूटी पर उपस्थित हो गया था। इसके बाद श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 तिजारा डीपो मेरी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर डयूटी लगाने के 1000 रू0 प्रति माह रिश्वत के एवं मेरी बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज में 5000 रू0 रिश्वत के इस प्रकार कुल 6000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है तथा मैं मेरे उक्त कार्यो के लिये श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 साहब से कईबार मिल चुका हूॅ किन्तु वे बिना रिश्वत के पैसे लिए मेरी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगातार डयूटी नही लगा रहा है और ना ही मेरी उक्त बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर रहा है। मैं, एम0ओ0 श्री दीपचन्द सांखला को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूॅ तथा उसे रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहता हूॅ। परिवादी ने श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, जिला अलवर से कोई उधार लेन–देन बकाया नही होना और ना ही कोई रंजिश होना बताया। परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की एवं विभागीय परिचय पत्र की छायाप्रतियों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिनको संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 460 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को हिदायत दी गई कि वह श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, जिला अलवर के पास जाकर, अपनी डयूटी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगाने एवं अपनी बीमारी के समय की अनुपस्थिति अवधि की मेडीकल अवकाश स्वीकृत करने के क्रम में श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, इस पर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने बताया कि आज मैं श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) के पास जाउगा तो वह आज मेरे से 1000 रू0 रिश्वत के प्राप्त करके मेरी डयूटी लगायेगा और मुझे आज डयूटी पर जाना है। मैं आज तिजारा जाकर रिश्वत मांग का सत्यापन तो करवा दूंगा किन्तु मुझे तिजारा से वापस अलवर आने में काफी समय लग जायेगा तथा डयूटी पर जाने में लेट हो जाउगा। इसलिये मैं रिश्वत मांग के सत्यापन के बाद आज वापस अलवर नही आ सकता। श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के